77/2012 सेवाराम--- पवनकुमार

दिनांक	आज्ञा पत्र	
31-1-2018	पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र कायम मु0 हेतु पेश । विद्वान वकील प्रार्थी/अपीलान्ट ने बहस प्रार्थना पत्र में कथन किया कि अपीलान्ट सेवाराम का देहान्त दिनांक 18-7-2016 को हो गया। जिसके विधिक वारिसों में उसकी पत्नी रामप्यारी, पुत्री सुनिता, मंजू तथा पुत्र दलीप व सुरेश है जिनको मृतक सेवाराम के स्थान पर अपीलान्ट बनाया जावे ।अपीलान्ट अनपढ ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति है जिनको कानूनी जानकारी नहीं है अपीलान्ट को कानून की बारिक जानकारिया नहीं होने एवे अनपढ ग्रामीण होने से प्रार्थीगण को अपील में पक्षकार बनाया जावे ।अपील में प्रकरण की पैरवी मृतक सेवाराम ही करता था । दिनांक 14-2-2017 को सेवाराम का पुत्र आया तब उसने सेवाराम की मृत्यु के बाबत बताया तब यह प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र एवं दफा-5 प्रार्थना पत्र के अविलम्ब पेश कर दिया। अतः अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद शुमार कर मृतक सेवाराम के वारिसान को उसके स्थान पर अपीलान्ट बनाया जावे अपीलान्ट ने बहस के समर्थन में नजीर 2009(2)डीएनजे (राज0) पेज-623, 2015(1)(डीएनजे)(राज0) पेज-146 पेश कर प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया तथा रेस्पोडेन्ट सं0-1 व 2 द्वारा अपील अबैटमेन्ट प्रार्थना पत्र गलत आधारो पर पेश किया गया है । प्रकरण की पैरवी मृतक सेवाराम द्वारा की जाती थी सेवाराम कई दिनों तक पेशी पर नहीं आने पर उसे सूचना की गई तब सेवाराम का पुत्र आया तथा उसने सेवाराम की मृत्यु की सूचना दी जिस पर ७ का0 मु0का प्रार्थना पत्र पेश कर दिया । मैने मेरे प्रार्थना	

Not Official Copy

का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मृतक सेवाराम के स्थान पर अपीलान्टस् बनाये जावे ।

विद्वान वकील अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट ने बहस प्रार्थना पत्र में कथन किया कि अपीलान्ट सेवाराम का देहान्त दिनांक 18-7-2016 को हो गया जिसका कायम मुकाम प्रार्थना पत्र निर्धारित समय सीमा-90 दिवस के भीतर पेश नहीं किया गया। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि कायम मुकाम प्रार्थना पत्र समय सीमा में पेश नहीं किया गया है तो वह अपील स्वतः ही अबेट हो जाती है उसके लिये अलग से अबेट मेन्ट के प्रार्थना पत्र की आवश्यकता नहीं है जैसा नजीर 2012॥3॥डीएनजे॥राज0॥ पेज-1715 में स्पष्ट किया गया है। इसी सन्दर्भ में नजीर 2010॥2॥ आरआरटी पेज-1458 पेश की तथा निवेदन किया कि अपीलान्ट ने यह प्रार्थना पत्र मियाद के बाहर पेश किया है जिसमें विलम्ब के कोई सन्तोषप्रद कारण दर्ज नहीं किये हैं। इस कारण अपीलान्ट की अपील अबेट हो चुकी है कायम मुकाम प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकरअपील प्रार्थना पत्र अबेटमेन्ट स्वीकार कर अबेट कर खारिज की जावे ।

बहस बगौर समाहत की गई ।प्रार्थना पत्र एवं जबाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया । अपीलान्ट प्रार्थना पत्र आदेश-22 नियम-3 सीपीसी पेश किया है किन्तु आदेश-22 नियम-9 सीपीसी पेश नहीं किया जिसके कारण अबेटमेन्ट को निरस्त किया जावे अपीलान्ट ने जो नजीर पेश की है उसमें आदेश-22 नियम-9 सीपीसी पेश किया गया है जिसमें उपशमन अपास्त करने का अनुतोष है। प्रस्तुत प्रकरण में यह प्रार्थना पत्र पेश नहीं है तथा अपीलान्ट ने दफा-5 में जो तथ्य दर्ज किये हैं वो भी सन्तोषप्रद नहीं है । केवल यह कह देना की कानूनी बारिकीयों की जानकारी नहीं होने से प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद पेश नहीं किया

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	ही विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने जो नजीर पेश की उसमें स्पष्ट किया गया है कि कायम मुकाम प्रार्थना पत्र समय सीमा पेश नहीं किया गया तो अपील स्वतः ही अबैट हो जायेगी। अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र कायम मुकाम बनाये जाने का पेश किया जिसको स्वीकार किये जाने का कोई न्यायोचित आधार नहीं है ।अतः प्रार्थना पत्र कायम मुकाम खारिज किया जाकर प्रार्थना पत्र अपील अबैटमेन्ट स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट की अपील अबैट होने पर खारिज की जाती है ।पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो । निर्णय सुनाया गया । 31/1/18 [भंवरलाल मेहरड़ा] भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर	